भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1903
दिनांक 03.03.2020/13 फाल्गुन, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

सीएए विरोधी प्रदर्शनों के मामले

1903. श्री पी॰के॰ कुन्हालीकुट्टीः
श्री उत्तम कुमार रेड्डीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संपूर्ण देश में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके खिलाफ आईपीसी की धारा 124-ए (देशद्रोह) लगाई गई है;

(ग) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध यूएपीए और अन्य आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं;

(घ) ऐसे विदेशी नागरिकों की संख्या कितनी है जिन्हें छोड़ने के लिए कहा गया था क्योंकि उन्होंने सीएए विरोधी प्रदर्शनों में भाग लिया था; और

(ङ) नाबालिगों के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या कितनी है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं। संबंधित राज्य सरकार राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और कानून तोड़ने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी है। केंद्र सरकार राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की निगरानी करती है तथा कानून और व्यवस्था की बड़ी समस्या पैदा होने की स्थिति में राज्य सरकारों के अनुरोध पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती करके राज्य सरकारों की सहायता करती है।

किसी कानून के विरूद्ध प्रदर्शनों से संबंधित आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

आव्रजन ब्यूरो (बीओआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सीएए- विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेकर वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 5 विदेशी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया था।

*****